



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 180/अका./का.प/2020

रायपुर, दिनांक 10/09/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चौवनवीं बैठक गुरुवार दिनांक 10.09.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	– सदस्य	7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
2. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	– सदस्य	8. श्री राजेश कुमार सिसोदिया	– सदस्य
3. डॉ. प्रोमिला सिंह	– सदस्य	9. डॉ. एस.आर. गुप्ता	– सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	10. श्री गोविंद कुमार चंद्राकर	– सदस्य
5. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	– सदस्य	11. डॉ. एम.एल. नायक	– सदस्य
6. डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य	12. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.06.2020 एवं आपातिक बैठक दिनांक 10.08.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे के सी.पी.एफ. राशि के अंतिम भुगतान रु. 23,75,284/- (तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: डॉ. (श्रीमती) विजया कोचे के सी.पी.एफ. राशि के अंतिम भुगतान रु. 23,75,284/- (तेइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ चौरासी मात्र) की सूचना ग्रहण की गई।

4. वित्तीय सत्र 2015-16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय: वित्तीय सत्र 2015-16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

5. डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला का नगदीकरण स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. एस.के. सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला का 202 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण रु. 15,50,498/- (रुपए पंद्रह लाख पचास हजार चार सौ अठ्यानबे मात्र) की स्वीकृति दी गई।

6. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री के संविदा सेवा अवधि दिनांक 19.02.2020 से 1 वर्ष के लिए वृद्धि किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. गोपनीय विभाग के लिए अलग-अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिए राशि रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: गोपनीय विभाग के लिए अलग-अलग प्रकार के सामग्री क्रय करने के लिए राशि रु. 8,00,000.00 (रुपए आठ लाख मात्र) स्वीकृति दी गई।
8. डिग्री मुद्रण देयक राशि रु. 16,81,500/- (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।  
निर्णय: डिग्री मुद्रण देयक राशि रु. 16,81,500/- (रुपए सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) के भुगतान किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।
9. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फर्म New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur के कार्यकाल दिनांक 31.08.2020 से 02 माह के लिए वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. महाविद्यालयों को सत्र 2019-20 का सब्सिडी राशि दिए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।  
निर्णय: महाविद्यालयों को सत्र 2019-20 में प्रदान की जाने वाली (महाविद्यालयों की सूची अनुसार) कुल सब्सिडी राशि रुपए 5.66 लाख (रुपए पाँच लाख छैसठ हजार मात्र) का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, एवं धारा 33 का 4 में हुए संशोधन को स्वीकार करने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।  
निर्णय: छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 74 दिनांक 05 मार्च, 2019 एवं उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र क्रमांक 486/42/आउशि/सम/2020, दिनांक 02.07.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, धारा 33 का 4 में हुए संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

आई.क्यू.ए.सी. से प्राप्त प्रस्ताव

12. आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय: आई.क्यू.ए.सी. की बैठक दिनांक 29.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।



### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव

13. गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वर्ष 2019-20 की विभिन्न सेमेस्टर (I & III Sem. & II & IV Sem. (ATKT) DEC-JAN 2019-20) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 11,81,025/- (रुपए ग्यारह लाख इक्यासी हजार पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

### विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

14. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म से अनुबंध के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में प्रस्तावित महिला छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु आर्किटेक्ट फर्म श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएट्स से कराए जाने का अनुमोदन किया गया।

### पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

### विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. HRDC Program में आने वाले प्रतिभागी, विशेषज्ञ विद्वानों को HRDC Guideline 2019 के अनुरूप TA/DA एवं Conveyance का भुगतान किए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: HRDC Program में आने वाले प्रतिभागी, विशेषज्ञ विद्वानों को HRDC Guideline 2019 के अनुरूप TA/DA एवं Conveyance का भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

### विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव

3. वर्ष 2020-21 में विश्वविद्यालय परिसर स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु सहायक संचालक उद्यानिकी रायपुर (छ.ग.) को राशि रु. 13,71,711=00 (तेरह लाख इकहत्तर हजार सात सौ ग्यारह रुपए मात्र) भुगतान किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वर्ष 2020-21 वार्षिक रख-रखाव हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 27,43,423/- (रुपए सत्ताईस लाख तिरालिस हजार चार सौ तेईस मात्र) डिपॉजिट वर्क अंतर्गत उद्यानिकी विभाग से कार्य कराने का अनुमोदन कार्यपरिषद की प्रत्याशा में दिनांक 03.07.2020 को किया जाकर कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि की पचास प्रतिशत राशि रु. 13,71,711=00 (रुपए तेरह लाख इकहत्तर हजार सात सौ ग्यारह मात्र) का भुगतान सहायक संचालक, उद्यानिकी रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 21.07.2020 किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

### वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. 'कायिक निधि (कॉरपस फंड) विनियम' के संबंध में विचार करना।

निर्णय: 'कायिक निधि (कॉरपस फंड) विनियम क्रमांक-184 का अनुमोदन किया गया।

5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्राध्यापक, सेवानिवृत्त को प्रदाय किए गए अग्रिम (परीक्षा मद) एवं अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि का सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान एवं उपादान राशि से समायोजन किए जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्राध्यापक (से.नि.) से अग्रिम (परीक्षा मद) एवं अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि रु. 22,22,446/- (रुपए बाईस लाख बाईस हजार चार सौ छियालिस मात्र) एवं 14,440/- (रुपए चौदह हजार चार सौ चालीस मात्र) कुल राशि रु. 22,36,846/- (रुपए बाईस लाख छत्तीस हजार आठ सौ छियालिस मात्र) एवं शेष बकाया राशि रु. 1,35,246/- (रुपए एक लाख पैंतीस हजार दो सौ छियालिस मात्र) का समायोजन संबंधित के सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान एवं उपादान राशि से किए जाने स्वीकृति दी गई।


## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


### एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव :-

01. NCNR विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख-रखाव के लिए कुल रु. 19,07,801=00 (रुपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: NCNR विभाग में क्रय किए गए उपकरण सामग्री के वार्षिक रख-रखाव के लिए कुल रु. 19,07,801=00 (रुपए उन्नीस लाख सात हजार आठ सौ एक मात्र) की स्वीकृति दी गई।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
10.9.20  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 122 / अका. / का.प / 2020

रायपुर, दिनांक 10/09/2020

### प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
10.9.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)